संख्या-12/2023/3046/2022/77-6-2022-6002(099)/3/2021

प्रेषक,

जय वीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2022**

विषय- पूंजीगत उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु रू0 63,61,278.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक- इन्स-10-2/ सी0आई0एस0एस0/12-13/Vol.II/1100 दिनांक 26.11.2022 द्वारा पूंजीगत उपादान योजना-2012 हेतु पात्र इकाई को स्वीकृत पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित बजट धनराशि के सापेक्ष रू063,61,278.00(रूपया तिरसठ लाख इकसठ हजार दो सौ अट्ठत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। पिकप द्वारा पात्र इकाई का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत हैं:-

क्र0सं0	इकाई का नाम	वर्ष	स्वीकृत धनराशि (रू0 में)
1	मेसर्स गंगा पल्प एण्ड पेपर्स प्रा0लि0,चन्दौली।	2019-20	35,01,514.00
	-तदैव-	2020-21	28,59,764.00
	कुल योग-		63,61,278.00 (रूपया तिरसठ लाख इकसठ हजार दो सौ अट्ठत्तर मात्र)

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूंजीगत उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक-2885-60-800-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति-2012 का कार्यान्वयन-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू.294.41करोड़ (रूपये दो सौ चौरानवे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

करोड़ इकतालीस लाख मात्र) में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष रू0 63,61,278.00 (रूपया तिरसठ लाख इकसठ हजार दो सौ अट्ठत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी।
2. किसी परिस्थति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
5. यह धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्या-1415/77-6-12-08(एम)/12टी.सी.दिनांक 30.11.2012 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
6. यह धनराशि ऐसी पात्र इकाईयों, जिनका प्रत्यावेदन पिकप में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. पिकप धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व इकाई की पात्र एवं आंकड़ो की शुद्धता का परीक्षण कर देय धनराशि के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे तथा पिकप द्वारा इस आशय की आख्या संयुक्त आयुक्त, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ को उपलब्ध करायी जाएगी।
10. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-6/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. पिकप धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ो की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 63,61,278(रुपये तिरसठ लाख इकसठ हजार दो सौ अठ्ठतर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2885608001900 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-137-X-2022-23, दिनांक 17-01-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
जय वीर सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-12/2023/3046(1)/77-6-2022-6002(099)/3/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय(लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0शासन।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।

5. प्रबन्ध निदेशक, पिकप को उनके पत्रांक-इन्स-10-2/ सी0आई0एस0एस0/12-13/Vol.II /1100 दिनांक 26.11.2022 के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

6. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-1/4
10. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जय वीर सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in